अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

शंकरलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 ए   मु0नं0– 34/2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0एक्ट हेतु पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमी खसरा नम्बर 3884/3972 रकबा 0.7600 है0, एवं खसरा नम्बर 3889 रकबा 1.000 है0 वाके ग्राम टोरडा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है, प्रार्थी की उक्त भूमि का तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2023 को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पत्थरगढी बाबत आवेदन किया गया है। पत्रावली में विचाराधीन भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है इसलिए उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम टोरडा तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थी की भूमी खसरा नम्बर 3884/3972 रकबा 0.7600 है0, एवं खसरा नम्बर 3889 रकबा 1.000 है0 पर पत्थरगढ़ी प्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो की जावे साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	